भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

17.07.2019 के

अतारांकित प्रश्न सं. 3967 का उत्तर

रेल उपरि पुलों का निर्माण

3967. श्री अरूण सावः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) **छत्तीसगढ़ सहित देश में कार्यशील और निर्माणाधीन रेल उपरि पुलों (आरओबी) की राज्य-वार संख्या कितनी है;**

(ख) **विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में आरओबी के अभाव में होने वाली दुर्घटनाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है तथा उक्त दुर्घटनाओं में मृतकों/घायलों की राज्य-वार संख्या कितनी है;**

(ग) **सरकार द्वारा देश में और अधिक रेल उपरि पुलों का निर्माण करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;**

(घ) **उक्त परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;**

(ङ) **विगत तीन वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और**

(च) **इस प्रयोजनार्थ आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है?**

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (च): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

Sk

रेल उपरि पुलों के निर्माण के संबंध में 17.07.2019 को लोक सभा में श्री अरूण साव के अतारांकित प्रश्न सं. 3967 के भाग (क) से (च) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क): संचलित और निर्माणाधीन उपरि सड़क पुलों (आरओबी) की राज्य-वार संख्या परिशिष्ट-I में दी गई है।

(ख): इस प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हुई है।

(ग) से (ङ): राज्य सरकार और अन्य सांविधिक प्राधिकारियों से समपारों के स्थान पर उपरि/निचले सड़क पुलों (आरओबी/आरयूबी) के निर्माण के संबंध में प्रस्ताव सामान्यत: क्षेत्रीय रेलों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। राज्य सरकार/सांविधिक प्राधिकारियों के साथ लागत में भागीदारी और समपारों को बंद करने के लिए सहमति के बारे में विभिन्न औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, समपारों के स्थान पर आरओबी/आरयूबी के निर्माण के लिए प्राप्त प्रस्तावों को रेलवे निर्माण कार्य कार्यक्रम में शामिल करने के लिए अगली कार्रवाई की जाती है। यह एक सतत प्रक्रिया है और अधिक आरओबी के निर्माण के लिए, व्यस्त समपारों के स्थान पर उपरि/निचले सड़क पुलों के निर्माण कार्य की प्रगति में तेजी लाने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ निकट समन्वयन के जरिए उठाए गए सुधारात्मक कदम निम्न प्रकार हैं:-

- **अनंतिम सामान्य आरेखण व्यवस्था (जीएडी) को अंतिम रूप देने के लिए राज्य सरकार सहित सर्व संबंधितों के साथ संयुक्त सर्वेक्षण।**

- **डिजाइन तैयार करने में विलम्ब से बचने के लिए विभिन्न स्पैन के लिए आरेखों का मानकीकरण।**

- **भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एनएचएआई/एमओआरटीएच) से संबंधित विभिन्न योजनाओं और डिजाइनों के ऑनलाइन आवेदन व अनुमोदन के लिए प्रयोक्ता मैत्रीपूर्ण विशेषताओं के साथ एक वेब-आधारित अनुप्रयोग को चालू किया गया है।**

- **रेल मंत्रालय तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के बीच सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अपनी लागत से आरओबी/आरयूबी के निर्माण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों पर सभी समपारों को समाप्त करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।**

- **सामान्यत:, रेलवे अपने हिस्से में आरओबी/आरयूबी का निर्माण करती है जबकि पहुंच मार्गों का निर्माण राज्य सरकार द्वारा करवाया जा रहा है। सामान्यत:, रेलवे के हिस्से में आरओबी/आरयूबी के निर्माण में कोई समस्या नहीं होती। तथापि, पहुंच मार्गों पर**

आरओबी/आरयूबी का निर्माण कठिन होता है, क्योंकि यह भूमि की उपलब्धता, अतिक्रमण हटाने, पहुंच मार्गों का संरेखण निर्धारित करने, अपेक्षित धनराशि का आबंटन आदि जैसे बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। अतः आरओबी/आरयूबी परियोजनाओं के निर्माण हेतु समय-सारणी तय करना संभव नहीं है।

विगत तीन वर्षों (2016-17, 2017-18 एवं 2018-19) में, छत्तीसगढ़ राज्य में 17 उपरि सड़क पुलों (आरओबी) तथा 54 निचले सड़क पुलों (आरयूबी) के निर्माण हेतु कार्य स्वीकृत किया गया है। फिलहाल, छत्तीसगढ़ राज्य के लिए आरओबी/आरयूबी का ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है जो लागत साझाकरण के लिए मानदंडों को पूरा करता हो।

(च): विगत तीन वर्षों में आरओबी/आरयूबी के निर्माण के लिए राज्य-वार धन आवंटन परिशिष्ट-II में दिया गया है।

******

Sk

रेल उपरि पुलों का निर्माण के संबंध में 17.07.2019 को लोक सभा में श्री अरूण साव के अतारांकित प्रश्न सं. 3967 के भाग (क) के उत्तर से संबंधित परिशिष्ट-I

(क) संचलित और निर्माणाधीन उपरि सड़क पुलों (आरओबी) की राज्य-वार संख्या निम्नानुसार है:

क्र. सं.	राज्य	संचलित उपरि सड़क पुल (आरओबी)	निर्माणाधीन उपरि सड़क पुल (आरओबी)
1	आंध्र प्रदेश	176	62
2	असम	45	1
3	बिहार	108	103
4	चंडीगढ़	1	0
5	छत्तीसगढ़	50	25
6	दिल्ली	43	4
7	गोवा	6	3
8	गुजरात	186	118
9	हरियाणा	111	69
10	हिमाचल प्रदेश	17	0
11	जम्मू एवं कश्मीर	34	2
12	झारखंड	207	40
13	कर्नाटक	181	37
14	केरल	198	86
15	मध्य प्रदेश	145	85
16	महाराष्ट्र	355	106
17	नागालैंड	2	0
18	ओडिशा	126	33
19	पुडुचेरी	1	3
20	पंजाब	132	16
21	राजस्थान	138	57
22	तमिलनाडु	322	110
23	तेलंगाना	84	38
24	त्रिपुरा	44	0
25	उत्तर प्रदेश	339	239
26	उत्तराखंड	7	6
27	पश्चिम बंगाल	141	89
	कुल	3199	1332

*****

Sk

रेल उपरि पुलों का निर्माण के संबंध में 17.07.2019 को लोक सभा में श्री अरूण साव के अतारांकित प्रश्न सं. 3967 के भाग (च) के उत्तर से संबंधित परिशिष्ट-II

(च): विगत तीन वर्षों में आरओबी/आरयूबी के निर्माण के लिए राज्य-वार धन आवंटन निम्नानुसार है:

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	राज्य	2016-17	2017-18	2018-19
1	आंध्र प्रदेश	171.96	250.11	231.10
2	असम	53.42	22.88	16.36
3	बिहार	132.25	143.87	145.54
4	छत्तीसगढ़	72.96	123.23	79.56
5	दिल्ली	6.33	1.93	4.77
6	गोवा	9.13	20.41	16.67
7	गुजरात	175.57	403.84	321.13
8	हरियाणा	132.29	176.12	137.62
9	जम्मू एवं कश्मीर	0.23	0.81	15.48
10	झारखंड	64.76	147.32	145.95
11	कर्नाटक	193.74	127.31	150.65
12	केरल	100.75	135.02	100.53
13	मध्य प्रदेश	236.83	322.02	305.04
14	महाराष्ट्र	174.60	212.47	205.36
15	ओडिशा	95.13	229.09	266.38
16	पुडुचेरी	3.50	0.77	9.34
17	पंजाब	48.67	90.72	52.53
18	राजस्थान	400.14	382.54	564.45
19	तमिलनाडु	243.98	371.04	369.86
20	तेलंगाना	59.20	75.01	79.52
21	उत्तर प्रदेश	558.75	606.35	779.22
22	उत्तराखंड	3.27	0.14	23.82
23	पश्चिम बंगाल	128.70	157.01	182.30
	कुल	3066	4000	4203

******

Sk